

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 02/2023- एकीकृत कर

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्तूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक